

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-63/15

संस्थित दिनांक-26.03.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. बिहारी अहिरवार पुत्र गोरेलाल अहिरवार उम्र 42 साल,
2. गोरेलाल पुत्र भरोसे अहिरवार उम्र 67 साल,
3. प्रकाश अहिरवार पुत्र गोरेलाल अहिरवार उम्र 32 साल,
सभी निवासीगण ग्राम विक्रमपुर जमूसर मोहल्ला
थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... अभियुक्तगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 29.08.2017 को घोषित)

01-अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 324 दो बार, 323 अथवा 323/34 दो बार, 341, 506 भाग-दो के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 15.01.2015 को समय शाम 06:00 बजे ग्राम विक्रमपुर थाना चंदेरी में स्थित जमूसर मोहल्ला में फरियादी व अन्य को लोक स्थल पर मां बहन की गालियां देकर अश्लील शब्द उच्चारित कर उन्हें व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं आहत भगवती एवं शिशुपाल को कुल्हाड़ी जो कि एक काटने का उपकरण है, से स्वेच्छया उपहति कारित कर फरियादी राजा व आहत आरती को उपहति कारित करने के सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में राजा व आहत आरती को स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।

02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.01.2015 को शाम 05:00 बजे करीब राजा के खेत में बिहारी अहिरवार के ढोर घुस गये थे, ढोरों को राजा की मम्मी भगाकर घर आयी थी, तो पड़ोस में रहने वाला बिहारी ने कहा तुम्हारे ढोरों ने फसल में घुसकर खराब कर रहे थे, उनको देखा करो बांध कर रखा करो, इसी बात पर बिहारी अश्लील गालियां देने लगा और आवाज देकर प्रकाश और गोरेलाल को बुला लिया, तीनों ने लाठी कुल्हाड़ी से मम्मी की मारपीट की। राजा व शिशुपाल, आरती ने बचाया तो सभी की मारपीट की। जिसमें सभी को चोटें आयी, व रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी राजा द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-04/2015 अंतर्गत धारा-323, 294, 341, 506बी, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-09.09.2015 को फरियादी नाबलिंग राजा, आहत नाबलिंग शिशुपाल, व आरती की ओर से उसके पिता गरीबदास ने व आहत भगवती बाई ने स्वयं सहित आहत भगवती बाई द्वारा अभियुक्तगण पर आरोपित धारा में शमन करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये, जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भादवि की धारा 294 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा-324 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

04—अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0स0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या दिनांक 15.01.2015 को शाम 06:00 बजे ग्राम विक्रमपुर थाना चंदेरी में स्थित जमूसर मोहल्ला में अभियुक्त बिहारी ने भगवती बाई व शिशुपाल को काटने के उपकरण कुल्हाड़ी से स्वेच्छया उपहति कारित की ?
----	--

2.	क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त प्रकाश व गोरेलाल ने अन्य अभियुक्त बिहारी के साथ मिलकर फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत भगवती बाई व शिशुपाल को काटने के उपकरण कुल्हाड़ी से स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में फरियादी राजा (अ0सा0-2) सहित घटना में आहत व फरियादी मां भगवती बाई (अ0सा0-1) भाई शिशुपाल (अ0सा0-4) बहन आरती (अ0सा0-6) सहित घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में रामसिंह (अ0सा0-7), नंदू कुशवाह (अ0सा0-8) के कथनों सहित चिकित्सीय साक्षी एम0 एल0 खरका (अ0सा0-3) व अनुसंधानकर्ता अधिकारी प्रधान आरक्षक जयदेवसिंह (अ0सा0-5) के कथन न्यायालय में कराये गये। अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये उपरोक्त साक्षियों में से फरियादी राम सिंह (अ0सा0-7), नंदू कुशवाह (अ0सा0-8) ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया तथा पक्षविरोधी हो जाने के बाद भी अभियोजन ओर से किये गये परीक्षण में भी इन साक्षियों घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने के बाद भी अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये हैं। अतः साक्षी राम सिंह (अ0सा0-7) व नंदू कुशवाह (अ0सा0-8) के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

07— फरियादी राजा अहिरवार (अ0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि दिनांक 15.01.2015 को शाम 05:00-06:00 बजे अभियुक्त बिहारी के पशु उसके खेत में घुस गये थे, जिसे उसकी मां भगवती बाई (अ0सा0-1) भगाकर घर ले गयी और बिहारी से अपने पशु बांधने का कहा तो अभियुक्त बिहारी ने उसे मां बहन की गालिया दी और आवाज देकर अभियुक्त प्रकाश और गोरेलाल को बुला लिया और तीनों अभियुक्तगण ने उसकी मां के साथ मारपीट की थी। फरियादी राजा के अनुसार घटना के समय वह स्वयं शिशुपाल (अ0सा0-4) व आरती (अ0सा0-6) अपनी मां को बचाने के लिये मोक़े पर पहुचे थे, तो उनके साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की थी तथा इसी घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस को लिखाई थी।

- 08— फरियादी राजा (अ0सा0-2) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन पूरी तरह से अभियोजन घटना का समर्थन करते हैं तथा फरियादी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 से होती है। फरियादी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि करते हुये, स्वयं घटना में आहत भगवती (अ0सा0-1) जो कि फरियादी की मां हैं, भगवती बाई (अ0सा0-1) ने अपने कथनों में अपने पुत्र राजा (अ0सा0-2) के द्वारा बताई घटना की पुष्टि करते हुये कथन दिये हैं कि 8 माह पहले जनवरी माह में उसके खेत में बिहारी के पशु घुस आये थे जिन्हें वह लेकर आई थी और आरोपीगण को सौंप दिये थे। भगवती बाई (अ0सा0-1) के अनुसार इसी बात घर के द्वारे पर ही शाम करीबन 6 बजे बिहारी ने उसे मां बहन की गालियां दी थीं और उसके साथ मारपीट की थी। भगवती बाई (अ0सा0-1) ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौके पर अभियुक्त प्रकाश व गोरेलाल भी आ गये थे और जब उसे बचाने के लिये उसके बच्चे शिशुपाल (अ0सा0-4), राजा (अ0सा0-1) व आरती (अ0सा0-5) आये, तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट की थी।
- 09— घटना दिनांक को अभियुक्त बिहारी के पशु फरियादी के खेत में घुस जाने पर भगवती बाई (अ0सा0-1) के द्वारा अभियुक्त बिहारी से पशु बांधने का कहने के कारण विवाद हुआ था, इस संबंध में भगवती (अ0सा0-1) के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं तथा बचाव पक्ष इस साक्षी के कथनों में कोई तात्त्विक विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ है फरियादी के कथन इस संबंध में अखण्डित है कि बिहारी के साथ शेष अभियुक्तगण भी मौके पर था तथा उसके साथ जब आरोपीगण मारपीट कर रहे थे तो उसके चिल्लाने पर मौके पर शिशुपाल (अ0सा0-4) आरती (अ0सा0-7) व राजा (अ0सा0-2) भी मौके पर आ गये थे जिनके साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की थी।
- 10— आरती (अ0सा0-6) जो कि फरियादी की बहन है तथा अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहत भी हैं, का अपने कथनों में कहना है कि दिनांक 15.01.15 को शाम 06:00 बजे जब आरोपी बिहारी के पशु उनके खेत में घुस गये थे तो इसी बात को लेकर उसकी मां भगवती (अ0सा0-1) से आरोपी बिहारी ने झगडा किया था तथा मां के साथ गाली-गलौच और मारपीट की थी। आरती (अ0सा0-6) का यह स्पष्ट रूप से कहना है कि घटना के समय वह स्वयं उसका भाई राजा (अ0सा0-1) व शिशुपाल (अ0सा0-4) अपनी मां को बचाने के लिये गये थे तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट की थी। घटना में अन्य आहत शिशुपाल (अ0सा0-4) ने हालांकि पूरी तरह से अभियोजन के समर्थन में कथन नहीं दिये हैं, परन्तु इस साक्षी की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है कि बिहारी के पशु खेत घुसने पर उन्हें भगवती (अ0सा0-1) के

द्वारा भागने पर आरोपीगण ने भगवती बाई (अ0सा0-1) के साथ मारपीट की थीं।

- 11- फरियादी राजा (अ0सा0-1) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन पूरी तरह से प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी 1 में उल्लेखित घटना से मेल खाती है, जिनमें विरोधाभास की स्थिति नहीं हैं। जिससे फरियादी के द्वारा दिये गये कथन की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी 1 से होती हैं। हालांकि फरियादी राजा (अ0सा0-1) मुख्यपरीक्षण के लगभग दो वर्ष बाद किये गये प्रतिपरीक्षण में पूरी तरह से अपने पूर्व के कथनों से पलट गया हैं परन्तु राजा (अ0सा0-1) के कथनों में समय के साथ आया उक्त बदलाव प्रकरण में निश्चित रूप से दोनों पक्षों के मध्य हुये राजीनामों का परिणाम हैं। ऐसी स्थिति में इस साक्षी के मुख्यपरीक्षण के कथन ही देखे जाने हैं।
- 12- घटना में अन्य आहत भगवती बाई (अ0सा0-2) व आरती (अ0सा0-6) शिशुपाल (अ0सा0-4) ने फरियादी के कथनों की पुष्टि करते हुये इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी हैं कि घटना दिनांक को शाम 06:00 बजे जब भगवती (अ0सा0-1) ने अभियुक्त बिहारी के पशु उसके खेत में घुसने पर से अपने घर के बाहर बिहारी से बात की तो इसी बात पर अभियुक्तगण ने भगवती बाई (अ0सा0-1) के साथ मौके पर विवाद किया था जिसमें बाद में आरती (अ0सा0-6) शिशुपाल (अ0सा0-4) भी मौके पर आ गये थे, जिनके साथ आरोपीगण ने विवाद किया था।
- 13- अतः साक्षियों के द्वारा दी गई अखण्डित साक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को शाम 06:00 बजे फरियादी के घर के बाहर जब फरियादी की मां भगवती बाई (अ0सा0-1) ने अभियुक्त बिहारी से उसके पशु खेत में घुसने को लेकर उन्हें बांध कर रखने का कहा था तो अभियुक्त बिहारी ने भगवती बाई (अ0सा0-1) के साथ मौके पर विवाद कर गाली-गलौच की थी तथा उक्त विवाद के समय अभियुक्त बिहारी ने अभियुक्त प्रकाश व गोरेलाल को भी मौके पर बुला लिया था और अपनी मां से होते हुये विवाद को देखते हुये राजा (अ0सा0-1), शिशुपाल (अ0सा0-4), आरती (अ0सा0-6) ने भी मौके पर पहुंचकर अपनी मां का बीच बचाव किया था।
- 14- फरियादी राजा (अ0सा0-2) ने अपने कथनों में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि अभियुक्त बिहारी ने उसकी मां को सिर में मारा था तथा शेष अभियुक्तगण ने भी उसकी मां के साथ लाठियों के साथ मारपीट की थीं। स्वयं भगवती बाई (अ0सा0-1) ने भी अपने कथनों में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि बिहारी उपरोक्त विवाद में कुल्हाड़ी लेकर आया था और उसके सिर में कुल्हाड़ी मार

दी थीं, जिससे उसे 12 टांके आये थे। शिशुपाल (अ0सा0-4) ने भी अपने कथनों में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि घटना में उसकी मां के सिर में चोट आई थीं। वही आरती (अ0सा0-7) ने भी इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दिये हैं कि अभियुक्त बिहारी ने उसकी मां के साथ मारपीट की थी तथा उसकी मां के माथे पर चोट आई थीं।

15- चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एम0 एल0 खरका (अ0सा0-3) ने घटना दिनांक को ही भगवती बाई सहित अन्य आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण किया है। जिसकी पुष्टि इस साक्षी ने अपने कथनों में की है। इस साक्षी का अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट कहना है कि भगवती बाई (अ0सा0-1) के चिकित्सीय परीक्षण में उसने भगवती बाई के सिर में अग्रभाग में दाईं तरफ एक फटा हुआ घाव पाया था, जो कि परीक्षण में 24 घण्टे की अवधि का था और उक्त घाव में खून का थक्का जमा हुआ था। डॉक्टर एम एल खरका (अ0सा0-3) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन की पुष्टि उनके द्वारा भगवती (अ0सा0-1) के चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श-पी 4 से भी होती हैं।

16- अतः डॉक्टर एम0 एल0 खरका (अ0सा0-3) की चिकित्सीय साक्ष्य से फरियादी राज (अ0सा0-2) भगवती बाई (अ0सा0-1) शिशुपाल (अ0सा0-4), आरती (अ0सा0-7) के न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को भगवती बाई (अ0सा0-1) के सिर में उपहति कारित हुई थीं और चूंकि उक्त उपहति के संबंध में डॉक्टर एम0 एल0 खरका (अ0सा0-3) का स्पष्ट अभिमत है कि उसमें खून का थक्का जमा था व उक्त चोट परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर की थीं। अतः अभिलेख पर भगवती बाई (अ0सा0-1) को अभियुक्त बिहारी के द्वारा घटना में सिर पर कुल्हाड़ी से कारित की गई उपहति के संबंध में दी गई अखण्डित साक्ष्य एवं भगवती बाई (अ0सा0-1) को घटना दिनांक को सिर में फटे हुये घाव की चोट होने की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एम0 एल0 खरका (अ0सा0-3) के द्वारा किये जाने से, साक्षियों के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन कि भगवती बाई (अ0सा0-1) को घटना में बिहारी ने कुल्हाड़ी से सिर पर मारकर उपहति कारित की थीं, पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं रह जाता है।

17- अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त बिहारी के पशु फरियादी के खेत में घुसने पर भगवती बाई (अ0सा0-1) के द्वारा इस संबंध में अभियुक्त बिहारी से घटना दिनांक शाम 06:00 बजे की गई बात पर से अभियुक्त बिहारी ने भगवती बाई (अ0सा0-1) के साथ विवाद किया और उक्त विवाद में बिहारी ने फरियादी को कुल्हाड़ी से सिर में मारकर उपहति कारित

की थीं। घटना में बिहारी ने अन्य अभियुक्त प्रकाश व गोरेलाल को भी आवाज लेकर बुला लिया था और उनके द्वारा भी मौके पर उपस्थित होकर फरियादी सहित भगवती बाई (अ0सा0-1) के साथ मारपीट की जाने के संबंध में अखण्डित साक्ष्य अभिलेख पर है। जो अभियुक्तगण का भगवती बाई (अ0सा0-1) को उपहति कारित करने का सामान्य आशय दर्शित करती हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि बिहारी के द्वारा कुल्हाड़ी से भगवती बाई को सिर में जो उपहति कारित की गई थीं उक्त उपहति कारित करने का सभी अभियुक्तगण का सामान्य आशय था।

- 18— जहां तक बिहारी के द्वारा आहत शिशुपाल को घटना में कुल्हाड़ी से सिर में उपहति किये जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में फरियादी राजा (अ0सा0-2) व भगवती बाई (अ0सा0-1) ने हालांकि अपने कथनों में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि बिहारी ने शिशुपाल को सिर में कुल्हाड़ी मारी थीं, चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एम0 एल0 खरका (अ0सा0-3) ने शिशुपाल के चिकित्सीय परीक्षण में उसके सिर पर छीले हुये घाव के होने की पुष्टि की है। परन्तु स्वयं शिशुपाल असा 4 के कथन इस संबंध में गंभीर विरोधाभास से युक्त हैं।
- 19— शिशुपाल (अ0सा0-4) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में कहना है कि बिहारी ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की तथा शिशुपाल (अ0सा0-4) के कथन इस संबंध में भी विरोधाभासी है कि कौन से अभियुक्त ने किस हथियार से किसके साथ मारपीट की थीं। शिशुपाल (अ0सा0-4) अपने मुख्यपरीक्षण में प्रकाश के द्वारा उसे सिर में और पांव में लाठी मारना बताता है तथा प्रतिपरीक्षण में कण्डिका-3 में गोरे लाल के द्वारा उसे कुल्हाड़ी से मारपीट की जाने की घटना बताता है। जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार शिशुपाल (अ0सा0-4) के साथ मात्र बिहारी ने कुल्हाड़ी से सिर पर उपहति कारित की थी तथा शेष अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। अतः घटना में आहत शिशुपाल (अ0सा0-4) व फरियादी राजा (अ0सा0-2) व आहत भगवती बाई (अ0सा0-1) के कथन इस संबंध में विरोधाभासी है कि शिशुपाल (अ0सा0-4) के सिर में चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पाई गई छिलाव के रूप में उपहति वास्तव में बिहारी के द्वारा कुल्हाड़ी के प्रहार से आई थी या अन्य अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई थी।
- 20— शिशुपाल (अ0सा0-4) के सिर में चोट होने की पुष्टि एवं घटना स्थल पर इस साक्षी की उपस्थिति प्रमाणित हैं तथा मौके पर अभियुक्तगण से इस साक्षी का बीच बचाव में विवाद होना भी प्रमाणित है, परन्तु जब शिशुपाल (अ0सा0-4) स्वयं ही बिहारी के द्वारा उसके साथ की गई मारपीट की घटना से इंकार करता है तथा उसके साथ किस अभियुक्तगण ने किस हथियार से मारपीट की

इस संबंध में इस साक्षी के द्वारा दिये गये विरोधाभासी कथनों को देखते हुये। यह प्रमाणित नहीं होता है कि बिहारी ने शिशुपाल (अ0सा0-4) को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से सिर में उपहति कारित की थीं और यदि बिहारी के द्वारा शिशुपाल (अ0सा0-4) को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से उपहति कारित किया जाना प्रमाणित नहीं है तो उक्त आधार पर यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि शिशुपाल को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से उपहति कारित करने का अभियुक्तगण ने सामान्य आशय निर्मित किया था और उक्त आशय के अग्रसरण में बिहारी ने शिशुपाल (अ0सा0-4) को कुल्हाड़ी से सिर में उपहति कारित की थी।

21- घटना दिनांक 15.01.15 की शाम 06:00 बजे की होकर फरियादी के घर के सामने की हैं, तथा घटना अभियुक्त बिहारी के पशु फरियादी के खेत में घुस जाने के कारण भगवती बाई (अ0सा0-1) के द्वारा उसका विरोध करने पर घटित हुई यह फरियादी सहित साक्षियों के द्वारा दी गई अखण्डित साक्ष्य प्रमाणित हैं। अभिलेख पर इस आशय की अखण्डित साक्ष्य उपलब्ध है कि उक्त घटना में अभियुक्तगण ने फरियादी सहित अन्य आहतगण को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया था और उक्त आशय के अग्रसरण में ही अभियुक्त बिहारी ने भगवती बाई (अ0सा0-1) को कुल्हाड़ी से प्रहार कर सिर में उपहति कारित की थी। अभियुक्त बिहारी के द्वारा ही शिशुपाल (अ0सा0-4) को कुल्हाड़ी से सिर में उपहति कारित की गई इस संबंध में शिशुपाल (अ0सा0-4) के द्वारा स्वयं ही अभियोजन का समर्थन न करने एवं विरोधाभासी कथन से प्रमाणित नहीं होती है।

22- फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरफ से सफल रहा है कि दिनांक 15.01.15 को शाम 06:00 बजे अभियुक्तगण ने ग्राम विक्रमपुर जमूसर मोहल्ला में फरियादी के घर के बाहर भगवती बाई (अ0सा0-1) को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त बिहारी ने भगवती बाई (अ0सा0-1) को सिर में धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की, परन्तु अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि अभियुक्तगण ने शिशुपाल (अ0सा0-4) को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त बिहारी ने शिशुपाल (अ0सा0-4) को सिर में धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी।

- 23—फलतः भगवती बाई (अ0सा0—1) को घटना में कारित हुई उपहति के संबंध में अभियुक्त बिहारी पर भा0द0वि0 की धारा 324 एवं शेष अभियुक्तगण गोरेलाल पुत्र भरोसे अहिरवार, प्रकाश अहिरवार पुत्र गोरेलाल अहिरवार पर भा0द0वि0 की धारा 324/34 के आरोप प्रमाणित होने से अभियुक्त बिहारी को भा0द0वि0 की धारा 324 में एवं अभियुक्तगण गोरेलाल पुत्र भरोसे अहिरवार, प्रकाश अहिरवार पुत्र गोरेलाल अहिरवार को भा0द0वि0 की धारा 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 24—शिशुपाल (अ0सा0—4) को घटना में कारित हुई उपहति के संबंध में अभियुक्त बिहारी पुत्र गोरेलाल अहिरवार पर भा0द0वि0 की धारा 324 एवं शेष अभियुक्तगण गोरेलाल पुत्र भरोसे अहिरवार, प्रकाश अहिरवार पुत्र गोरेलाल अहिरवार पर भा0द0वि0 की धारा 324/34 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त बिहारी को भा0द0वि0 की धारा 324 में एवं अभियुक्तगण गोरेलाल पुत्र भरोसे अहिरवार, प्रकाश अहिरवार पुत्र गोरेलाल अहिरवार को भा0द0वि0 की धारा 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 25—दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा दोनों पक्षों के मध्य प्रकरण के विचारण के दौरान राजीनामा भी हो गया है इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया।
- 26—प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। घटना में फरियादी को कोई गंभीर उपहति कारित नहीं हुई। अभियुक्तगण का मात्र पशु घुसने पर मामूली बात पर विवाद था तथा उनके मध्य राजीनामा भी हो गया है। जिसको देखते हुये अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः अभियुक्त **बिहारी** को भा0द0वि0 की धारा 324 में दोषी पाते हुये न्यायालय उठने के कारावास एवं 1000/- रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त

गोरेलाल पुत्र भरोसे अहिरवार, प्रकाश अहिरवार पुत्र गोरेलाल अहिरवार को भा०द०वि० की धारा 324/34 में दोषी पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालय उठने के कारावास एवं 1000/- रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारवास भुगताया जावे। अभियुक्तगण की न्यायिक निरोधी में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावें। धारा 428 द०प्र०स० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। अभियुक्तगण के जमानत संबंधी मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)